

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार
गैर - रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
(केवल बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2020-21 हेतु मान्य)

मैं..... पिता / पति का नाम.....
वार्ड संख्या..... ग्राम.....
पंचायत / नगर पंचायत / नगर परिषद
प्रखंड..... जिला घोषणा करता / करती हूँ कि
मैंने अन्य रैयत की कृषि योग्य भूमि पर रबी वर्ष 2020-21 में फसल / फसलों की बुआई की है। बुआई
अन्तर्गत फसल / फसलों की भूमि का रकवा निम्न हैं :-

क्रम स.	फसल का नाम	बुआई का रकवा (डिसमिल में)
1.	गेहूँ	
2.	मक्का	
3.	चना	
4.	मसूर	
5.	अरहर	
6.	राई-सरसों	
7.	ईख	
8.	प्याज	
9.	आलू	
	कुल	

नोट:-मात्र बुआई की गई फसल के संबंध में ही प्रपत्र में विवरणी अंकित की जाय ।

यह भूमि ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर परिषद में अवस्थित हैं।
मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है । साथ ही, यह भी घोषणा करता / करती हूँ की
अंकित सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी पात्रता रद्द कर दी जाएगी ।

दिनांक-

हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य की अनुशंसा:-

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता / करती हूँ ।

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य का नाम:-		हस्ताक्षर एवं मोहर
पद:-		
मोबाइल नंबर :-		
आधार संख्या:-		

